

प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती
दिनांक 08.09.2021

थाना मुंडेरवा, थाना लालगंज व एण्टी नारकोटिक्स पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में गौ कशी करने वाला शातिर अपराधी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी रूधौली श्री धनन्जय सिंह कुशवाहा के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुंडेरवा, थानाध्यक्ष लालगंज व प्रभारी एंटी नारकोटिक्स की संयुक्त कार्यवाही में आज दिनांक 08.09.2021 को सुबह 4:05 बजे महादेवा मुख्य मार्ग के मेहड़ा मोड़ के पास पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त साहेब आलम पुत्र नाटे उर्फ गुलाम को गिरफ्तार किया गया मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त द्वारा फायर किया गया जिससे प्रभारी निरीक्षक मुंडेरवा के सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी तथा पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त के बाएं पैर के घुटने के नीचे गोली लगी है गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक आदद तमंचा 315 बोर व एक आदद जिंदा कारतूस, एक आदद खोखा कारतूस 315 बोर तथा एक आदद मोटरसाइकिल चोरी की बरामद की गई बरामद मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी की गई तो पाया गया कि थाना मुंडेरवा पर मुकदमा अपराध संख्या 130/21 धारा 379 आईपीसी पूर्व में पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना लालगंज के मुकदमा अपराध संख्या 170/32 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में वांछित है अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध विभिन्न थानों में आधा दर्जन के ऊपर मुकदमे पूर्व से ही पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. साहब आलम पुत्र नाटे उर्फ गुलाम निवासी ग्राम सफियाबाद थाना दुधारा जनपद संत कबीर नगर उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक मदद तमंचा 315 बोर ।
2. एक मदद जिंदा कारतूस, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर ।
3. एक अदर मोटरसाइकिल चोरी

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 130/21 धारा 379/411 भादवि थाना मुण्डेरवा बस्ती ।
2. मु0अ0सं0 185/21 धारा 307 भादवि थाना मुण्डेरवा बस्ती ।
3. मु0अ0सं0 186/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना मुण्डेरवा बस्ती ।
4. मु0अ0सं0 170/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना लालगंज बस्ती ।
5. मु0अ0सं0 106/19 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना दुधारा संतकवीरनगर ।
6. मु0अ0सं0 365/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना दुधारा संतकवीरनगर ।
7. मु0अ0सं0 367/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना दुधारा संतकवीरनगर ।
8. मु0अ0सं0 369/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दुधारा संतकवीरनगर ।
9. मु0अ0सं0 385/21 धारा 3(1) गैगैस्टर एक्ट थाना दुधारा संतकवीरनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक मुण्डेरवा सत्येन्द्र कुँवर जनपद बस्ती ।
2. थानाध्यक्ष लालगंज श्री रोहित कुमार उपाध्याय जनपद बस्ती ।
3. प्रभारी एण्टी नारकोटिक्स उ0नि0 योगेश कुमार सिंह जनपद बस्ती।
4. उ0नि0 मुनीश चन्द दूबे, उ0नि0 जय विन्द यादव थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती।
5. हे0का0 मातिवर यादव, का0 आदर्श सिंह, का0 रामजीत थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती।
6. उ0नि0 खुश मोहम्मद, उ0नि0 मुकुन्द त्रिपाठी, उ0नि0 ओमप्रकाश मिश्रा थाना लालगंज जनपद बस्ती।
7. का0 रवि गौड, का0 अजय यादव, का0 जितेन्द्र चौहान थाना लालगंज जनपद बस्ती।
8. हे0का0 कुलदीप यादव, का0 सर्वेश नायक एण्टी नारकोटिक्स जनपद बस्ती।